न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 10/2017

अनवानः— वीर बहादुर पुत्र प्रेमराज उर्फ पेमाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत अमरपुरा जालू तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. सचिव ग्राम पंचायत अमरपुरा जालू तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. जगदीश तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत अमरपुरा जालू तह0 संगरिया।
4. जयनारायण पुत्र फताराम जाति छीपा निवासी अमरपुरा जालू तह0 संगरिया
5. इन्द्राज पुत्र फताराम जाति छीपा अमरपुरा जालू तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. बलवंत सिंह पुत्र प्रेमराज उर्फ पेमाराज जाति जाट निवासी सतजण्डा तह0 रायसिंहनगर श्रीगंगानगर।
7. रणजीत सिंह पुत्र प्रेमराज उर्फ पेमाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र विरूद्ध आदेश

उपस्थितः— 1 श्री राजेन्द्र मोटयार अभिभाषक प्रार्थी।
2 अप्रार्थी सं0 03,04,05 अनुपस्थित, अप्रार्थी सं0 06,07 स्वंय उपस्थित।

:—निर्णयः—

दिनांकः— 14.09.2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का ग्राम अमरपुरा जालू खाट की आबादी में एक भूखण्ड सं0 198 साईज $2698^{1/4}$ दरगज प्रार्थी के भाई गैरनिगरानीकर्ता सं0 6, 7 के नाम बहिस्सा बराबर तत्कालीन ग्राम पंचायत जण्डवाला सिखान से जरिये विक्रय विलेख दिनांक 21.10.1956 खरीदशुदा था जिस पर आज भी प्रार्थी काबिज है। ग्राम पंचायत के ईन्तकाल रजिस्टर में कैफियत के कॉलम में उक्त विक्रय विलेख का ईन्तकाल दर्ज करते समय फताराम, लाधूराम पिसरान मेवाराम के नाम दर्ज हो गया लेकिन इस गलती को ग्राम पंचायत द्वारा तुरन्त दुरूस्त करते हुए मुताबिक प्रार्थी व गैरनिगरानीकर्ता सं0 06, 07 के नाम दर्ज किया गया। तदन्तर ग्राम अमरपुरा जालू ग्राम पंचायत अमरपुरा सिखान से अलग होकर ग्राम पंचायत जालू में आ गया। तत्समय इसका सरपंच जगदीश था जो प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाईयों गैरनिगरानीकर्ता सं0 6,7 के साथ राजनैतिक रंजिश रखता था। इसी रंजिश के चलते उसने गैरनिगरानीकर्ता सं0 4,5 जयनारायण व इन्द्राज से आपराधिक षड्यंत्र करके जरिये फर्जी व कूटरचित ईन्तकाल वसीयतनामा फताराम बहक जयनारायण व इन्द्राज दर्ज कर दिया। उक्त फर्जी ईन्तकाल का प्रार्थी को पता चलने पर प्रार्थी द्वारा तत्कालिक सरपंच जगदीश, जयनारायण व इन्द्राज, फताराम एवं तत्कालीन सचिव ओमप्रकाश के विरूद्ध पुलिस थाना संगरिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 138 दिनांक 14.03.2006 अंतर्गत धारा 420, 467, 471 व 120बी, भा0द0सं0 में दर्ज करवायी गई जिसका पुलिस थाना संगरिया द्वारा बाद अनुसंधान मा0 एसीजेएम न्यायालय संगरिया में जयनारायण, जगदीश व इन्द्राज के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 182/22.05.2006 पेश किया गया। मा0 न्यायालय में दक्त मुकदमा बअनवानी स्टेट बनाम जगदीश न.फौ.प्र.स. 332/06 लंबित है एवं मा0 न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट सं0 3 ता 5 के विरूद्ध आरोप विरचित कर दिये गये है। रेस्पोडेंट सं0 3 जगदीश, रेस्पोडेंट सं0 4 जयनारायण व रेस्पोडेंट सं0 5 इन्द्राज द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर फर्जी एवं कूटरचित वसीयत फताराम के नाम से तैयार कर उसके जीवनकाल में ही वसीयत के

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

आधार पर रेस्पोडेंट सं0 04, 05 के नाम से दिनांक 23.04.2000 को ईन्तकाल दर्ज किया गया है जिसका विधिक रूप से कोई महत्व नहीं है एवं प्रारंभ से ही शुन्य है एवं शुन्यकरणीय है। प्रार्थी उक्त इंतकाल को निम्न आधारों पर चुनौती देता है।

प्रश्नगत इंतकाल वसीयत फताराम दिनांक 22.01.96 के आधार पर दर्ज किया गया है, जो प्रारंभ से ही शुन्य है। तत्कालीन ग्राम पंचायत जण्डवाला सिखान द्वारा संहवन से फताराम व लाधूराम पिसरान मेवाराम के नाम दर्ज ईन्तकाल को काट कर मुताबिक विक्रय विलेख प्रार्थी एवं भाईयों तरतीबी रेसपोडेंटस के नाम ईन्तकाल दर्ज कर देने के बावजूद साशय आपराधिक षडयंत्र कर फर्जी एवं कूटरचित वसीयतनामा के आधार पर रेस्पोडेंट सं0 03 द्वारा रेस्पोडेंट सं0 04 व 05 के पक्ष में किया गया ईन्तकाल पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध व शून्य है। प्रश्नगत ईन्तकाल दर्ज करते समय फताराम जीवित था एवं वसीयत कभी भी वसीयतकर्ता के जीवनकाल में लागू नहीं की जा सकती लेकिन प्रश्नगत ईन्तकाल कथित वसीयतकर्ता के जीवनकाल में ही उसके पुत्रों रेस्पोडेंट सं0 4, 5 के पक्ष में कर दिया गया जिसका कोई विधि महत्व नहीं है। रेस्पोडेंट सं0 6, 7 का हित प्रार्थी के समान ही है जो मौका पर उपस्थित नहीं होने से बतौर तरतीबी पक्षकार संयोजित किये गये हैं। निगरानी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर भूखण्ड सं0 198 का फर्जी एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट सं0 4 व 5 के पक्ष में किये गये इंतकाल दिनांक 23.4.2000 अवैध व शून्य होने के आधार पर निरस्त किये जाने के आदेश फरमायें।

निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी सं. 6, 7 स्वयं उपस्थित आये तथा अप्रार्थी सं. 3 से 5 की अनुपस्थिति दर्ज कर एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भूखण्ड सं0 198 का फर्जी एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट सं0 4 व 5 के पक्ष में किये गये ईन्तकाल दिनांक 23.4.2000 अवैध व शून्य होने के आधार पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी सं. 6,7 द्वारा निगरानी प्रार्थना के जवाब में शपथ पत्र के साथ दिनांक 04.06.2018 में अंकित जा चुका है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत के ईंतकाल रजिस्टर में कैफियत के कॉलम में उक्त विक्रय विलेख का ईंतकाल दर्ज करते समय फताराम, लाधूराम पिसरान मेवाराम के नाम दर्ज होने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा दुरूस्त करते हुए मुताबिक पटटा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 06, 07 के नाम दर्ज किया गया है। तत्पश्चात वसीयत के आधार पर काटकर अप्रार्थीयान सं0 04, 05 के नाम ईंतकाल दर्ज किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त ईंतकाल दिनांक 24.3.2000 विधिवत जारी नहीं हुआ है।

अतः प्रार्थीयान का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से ग्राम पंचायत अमरपुरा जालू पंचायत समिति संगरिया द्वारा निगरानी अधीन द्वारा भूखण्ड सं0 198 का वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट सं0 04 व 05 के पक्ष में किये गये ईंतकाल दिनांक 23.04.2000 को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत अमरपुरा जालू पं0स0 संगरिया को निर्णय की प्रति सहित रिकार्ड वापस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(रामरतन सौंकरिया)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़